1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No Memo/Bgr/18 Dated 25/7/2018

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.413 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction/Extension of Kanda-Mantoli motor road to Talla Tipola** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Jethai** village in **Kanda** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.413 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature 25/07/18

Dated 25/7/2018

(Ranjana Rajguru) जिलाधिकारी

District Collector बागेश्वर

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–जेठाई
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.965 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.448 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.413 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जेठाई द्वारा दिनांक 7/4/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टिपोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 / 07.2018
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र जेठाई
वि0ख0 बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत मन्तोली
वि0ख0 / जनपद–बागेश्वर
(उत्तराखण्ड)

प्रधान
ग्राम जेठाई वि0 ख0 बागेश्वर
जनपद बागेश्वर
ह0 /
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक 7/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जेठाई

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दरपान सिंह	दरवान
2	भागरथी देवी	[illegible]
3	मोहन सिंह	मोहनसिंह
4	मधन सिंह 1.	मधनसिंह
5	मधन -2.	मदनसिंह
6	त्रिलोक सिंह	[illegible]
7	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
8	किशन सिंह	[illegible]
9	श्याम सिंह	Shyam Singh
10	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
11	चंचल सिंह	चंचल सिंह
12	रमेश सिंह	रमेश सिंह
13	गणेश सिंह	गणेशसिंह
14	आनन्द सिंह	आनन्दसिंह

1.6
प्रपत्र—30.2

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा—मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति—बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत काण्डा—मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.965 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.448 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 2.413 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 24/7/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति बागेश्वर की बैठक श्री राकेश चन्द्र तिवारी, उप जलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	श्री बलवन्त सिंह ...	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3—	श्री पी० एन० आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4—	श्रीमती माल्ती देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र, जेठाई	सदस्य मालती देवी

श्री० मालती देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि काण्डा—मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.413 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग हेतु 2.513 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील काण्डा/बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील काण्डा/बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 25/7/2018 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 24/7/2018 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई मोटर मार्ग के लिए 2.413 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर द्वारा काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई मोटर मार्ग के लिए 2.413 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई मोटर मार्ग के लिए 2.413 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला पंचायत सदस्य
बागेश्वर

सदस्य
जिला पंचायत काण्डे कन्याल
वि0ख0 व जनपद–बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

25/7/18
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.413 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 25/7/2018

25/07/18

(रंजना राजगुरु)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।